राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 187/2007

दिलीप चंद बुनकर —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, बीकानेर।
3. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, उदयपुर मंडल, उदयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, राजसमंद।
5. प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कुंदवा तसहील देवगढ मदारिया जिला राजसमंद।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.06.2007
आदेश की दिनांक : 16.04.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री गजेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी को अध्यापक (तृतीय वेतन श्रृंखला) के पद पर आदेश दिनांक 09.10.1986 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। राज्य सरकार के अधीन सेवारत कर्मचारियों को क्रमशः 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा—अवधि पूर्ण कराने पर, क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान के लाभ प्रदान कराए जाने के बाबत आदेश दिनांकरू 25.01.1992 पारित कराया गया। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.01.1996, जिसमें अपीलार्थी के नाम को क्रम संख्या—2 पर दर्शाया गया, जारी कराते हुए अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान के लाभ वेतन श्रृंखला 1200—2050 से 1400—2600 में वेतन निर्धारण कराते हुए मूल वेतन रू.1480/— पर वेतन निर्धारण कराया गया। तदुपरान्त राज्य सरकार के द्वारा जारी पुनरीक्षित वेतनमान, 1998 के क्रम में प्रत्यर्थी—विभाग के द्वारा अपीलार्थी को वेतन निर्धारण कराते हुए वेतन श्रृंखला 1400—2600 से 5000—8000 में मूल वेतन रू.5,150/— पर वेतन निर्धारण करने के आदेश दिनाक 28.03.1998 को जारी कराए गए। अपीलार्थी को अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लाभ प्रदान कराए गए तथा प्रत्यर्थी—विभाग के द्वारा अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति प्रदान कराए जाने पर देय वेतन श्रृंखला 5500—9000 (स्केल नम्बर—11)

में वेतन निर्धारण कराया गया एवं उक्त क्रम में प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा आदेश दिनांक 13.12.2000 एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा आदेश दिनांक 08.01.2001 जारी कराए गए। प्रत्यर्थी संख्या–5 के द्वारा अपीलार्थी के अध्यापक (द्वितीय वेतन श्रृंखला) पद पर पदोन्नति पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 26–ए के लाभ देने एवं वेतन वृद्धि की दिनांक के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश बाबत प्रत्यर्थी संख्या–4 को पत्र दिनांक 22.11.2006 प्रेषित कराया गया। उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 22.11.06 के क्रम में प्रत्यर्थी सख्या–4 के द्वारा आदेश दिनांक 23.11.2006 जारी कराते हुए गैरवाजिब रूप से अपीलार्थी को अध्यापक के पद पर पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष बाद वार्षिक वेतन वृद्धि देय होने एवं पूर्व में जो वेतन वृद्धि प्रदान कराई गई, के बाबत अधिक भुगतान की वसूली करने के अनुचित आदेश जारी कराए गए। जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी संख्या–5 के द्वारा आदेश दिनांक 01.12.2006 जारी कराते हुए अपीलार्थी के अनुचित रूप से अध्यापक (द्वितीय वेतन श्रृंखला) की पदोन्नति पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष बाद से वेतन वृद्धि स्वीकृत कराने और पूर्व में किए गए अधिक भुगतान की वसूली के आदेश जारी कराए गए और साथ ही अपीलार्थी को राजस्थान सेवा नियम के नियम 26–ए के प्रावधानों के तहत भी लाभ प्रदान नहीं कराए गए। जबकि इसके विपरीत प्रत्यर्थी–विभाग के द्वारा अपीलार्थी को मूल वेतन रू.5,750/– से राजस्थान सेवा नियमष के नियम 26–ए का लाभ देते हुए दिनाक 19.12.2000 को वेतन श्रृंखला 5500–9000 में मूल वेतन रु.6,025/– पर वेतन निर्धारण कराना चाहिए था और जिसे अपीलार्थी से प्राप्त करने का अधिकारी है और उक्त वाजिब लाभों से प्रत्यर्थी–विभाग के द्वारा अपीलार्थी को किसी भी परिस्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी को प्रतिमाह निरन्तर आर्थिक हानि हो रही है। अपीलार्थी को अध्यापक के पद पर पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के बाद की तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने और पूर्व में प्रदान की गई वार्षिक वेतन वृद्धि से अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही अवैध एवं नियम–विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, परन्तु प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी संख्या–4 व 5 के द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 23.11.2006 एवं 01.12.2006 (अनुलग्नक– 9 व 10) को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अध्यापक (द्वितीय वेतन श्रृंखला) में पदोन्नति पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 26–ए के लाभ प्रदान करावें एवं पूर्ववत् ही वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ प्रदान करावें तथा अधिक भुगतान पेटे से वसूल की गई राशि को मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के समस्त पारिणामिक लाभों सहित भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र दिनांक 08.06.2001 की अनुपालना में

अपीलार्थी की वेतन श्रृंखला संशोधित की गई है जो कि नियमानुसार है। प्रत्यर्थी विभाग को अपने कर्मचारीयों का वेतन में कमी/बढोतरी करने का पूर्ण अधिकार है। अपीलार्थी ने यह अपील समय बाधित प्रस्तुत की है। साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी ने राजस्थान सेवा नियम 26–ए का लाभ प्रदान करने तथा पूववर्ती वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त करने की अनुसंशा की है जो कि वित्त विभागद्वारा जारी किये गये परिपत्र के विपरीत होने के कारण देय नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अधिकार तथा विभाग द्वारा उसे नियमों के सापेक्ष निस्तारित करने में अनापत्ति जाहिर की।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य